उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-41/2024/2596/23-3-2024-03ईएस/2023

लखनऊ, दिनांक: 24 दिसम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा-मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता आदि के मुख्यालय छोड़ने के संबंध में सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये जाने के निर्देश शासन के आदेश संख्या-1531/23-3-2023-03ईएस/2023, दिनांक: 18.08.2023 एवं आदेश संख्या-1699/23-3-2023-03ईएस/2023, दिनांक: 16.09.2023 द्वारा निर्गत किये गये हैं, किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त अधिकारीगण मा0 समिति की बैठक में प्रतिभाग करने एवं बीमारी इत्यादि के आधार पर मुख्यालय छोड़कर लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय/शासन में आते रहते हैं, जिस कारण विभाग के शासकीय कार्यों के सम्पादन में बाधा उत्पन्न होती है।

2- अत: इस संबंध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण द्वारा विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ा जाय।

3- कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित अभियंता के विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के नियम-10(2) के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

प्रभुनाथ,

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियंता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

जारी 18/8/2023

जारी 18/8/23

संख्या-1531/23-3-2023-03ईएस/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 18 अगस्त, 2023

विषय: मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण यथा-मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से बाहर रहते हैं, जिस कारण विभाग के कार्यो के सम्पादन में बाधा उत्पन्न होती है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता) के मुख्यालय छोड़ने के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है :-

(1) लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/वृत्तों के अधीक्षण अभियंता को किन्हीं कारणों, यहां तक कि शासकीय कार्य से भी यदि मुख्यालय से बाहर जाना हो अथवा लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय ही आना हो, तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ा जाय।

(2) अधिशासी अभियंतागण को भी मुख्यालय से बाहर जाना हो तो संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ा जाय।

3- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस आदेश का अनुपालन न किये जाने पर संबंधित अभियंता के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

भवदीय,

o/c (अजय चौहान)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2- समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चितकराये जाने हेतु।

3- गार्ड फाइल।

Rajesh 18/8/2023

आज्ञा से,

o/c (राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

GO-2023-doc

प्रारी/सुश्री अनुपम
16/09/2023

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-3
संख्या- 1699/23-3-2023-03ईएस/2023
लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के आदेश संख्या-1531/23-3-2023-03ईएस/2023, दिनांक 18.08.2023 द्वारा लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने के संबंध में सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु संज्ञान में आया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण यथा-मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता आदि मा0 समिति की बैठक में प्रतिभाग करने एवं बीमारी इत्यादि के आधार पर मुख्यालय छोड़कर लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय/शासन में आते रहते हैं, जिस कारण विभाग के कार्यो के सम्पादन में बाधा उत्पन्न होती है।

2- अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण द्वारा विशेष परिस्थिति में ही सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ा जाय।

3- कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस आदेश का अनुपालन न किये जाने पर संबंधित अभियंता के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

16/9/23
(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियंता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

UO-2023-Ipt